<u>न्यायालय–जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम हिलसा (नालन्दा)</u>

<u>नियमित जमानत आवेदन सं–121/2026</u>

<u>जौशन कुमार उर्फ छोटू बनाम बिहार राज्य</u>

<u>17.03.2026</u> काराधीन आवेदक/अभियुक्त **जौशन कुमार उर्फ छोटू पे0 अरूण मिस्त्री,** जो नगरनौसा थाना काण्ड <u>सं–</u>224/2025 (अन्तर्गत धारा–310(2),310(6),317(4),3(5) बी0एन0एस0 एवं धारा–25(1–बी)ए, 26(1)/35 शस्त्र अधिनियम) में दिनांक 31.08.2025 से न्यायिक अभिरक्षा में है, की ओर से दाखिल जमानत आवेदन को उनके विद्वान अधिवक्ता श्री भानू प्रसाद द्वारा प्रचालित किया गया। जमानत आवेदन की सुनवाई हेतु मांगी गई मूल अभिलेख प्राप्त है।

2. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत आवेदन पर सुनवाई के कम में निवेदन किया गया है कि आवेदक की ओर से पूर्व में अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन श्रीमान् के न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दाखिल नहीं किया गया है। आवेदक के विरूद्ध इस मुकदमा के अलावे ~~दो~~ 03 अन्य मुकदमा दर्ज है। विद्वान अधिवक्ता का यह भी कथन है कि आवेदक निर्दोष है, जिन्हें गलत अभियोग के आधार पर इस वाद में झूठा फंसाया गया है। आरोपित धाराएं आवेदक के विरूद्ध लागू नहीं होता है। आवेदक को दूसरे केस से दिनांक 31.08.2025 को इस वाद में रिमाण्ड कराया गया है। आवेदक के व्यक्तिगत रूप से कोई बरामदगी नहीं है। आवेदक के विरूद्ध कोई प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है। इन कथनों के आधार पर आवेदक अभियुक्त को जमानत पर मुक्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

3. विद्वान प्रभारी अपर लोक अभियोजक द्वारा जमानत का विरोध किया गया।

4. उभय पक्षों को सुनने के पश्चात् अभिलेख आज आदेशार्थ प्रस्तुत किया गया। अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि इस वाद में अपराध अन्तर्गत <u>धारा–</u>310(2),310(6),317(4),3(5) बी0एन0 एस0 एवं धारा–25(1–बी)ए, 26(1)/35 शस्त्र अधिनियम में संज्ञान लेते हुए आवेदक अभियुक्त को आहूत किया गया है। इस संदर्भ में इस वाद के अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप है कि दिनांक 30.08.2025 को सूचक पु.अ.नि. शशिरंजन कुमार मिश्रा जब नगरनौसा थाना काण्ड <u>सं–223/2025 के</u> अनुसंधान एवं छापामारी के लिए निकले थे तो सूचक को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि इस काण्ड के अपराधकर्मी घटना में लूटे गये सोने की चेन, प्रयुक्त देशी कट्टा एवं मोटर साइकिल के साथ लच्छू विगहा हाल्ट से आगे सैदनपुर जाने वाली सड़क के किनारे बैठकर अन्य आपराधिक घटना कारित करने की योजना बना रहे हैं एवं लूटी गई चेन बेचने की योजना बना रहे हैं। इस सूचना पर जब सूचक एवं अन्य पुलिसकर्मी उक्त स्थल पर छापामारी किये तो वहॉं आवेदक अभियुक्त एवं सह अभियुक्त वहॉं पाये गये व इनकी तलाशी लिये जाने पर इनके पास से देशी कट्टा, कारतूस, मोबाईल, सोने जैसे धातु की चेन, चाकू, मोटर साइकिल आदि बरामद किया गया था। यह आरोप काफी गंभीर है एवं वाद दैनिकी में भी आवेदक अभियुक्त के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य है। इसके अतिरिक्त आवेदक अभियुक्त का विस्तृत आपराधिक इतिहास भी है।

अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं मामले की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर मुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। तद्नुसार प्रस्तुत जमानत आवेदन **अस्वीकृत** किया जाता है।

(लेखापित)

(आलोक कुमार पाण्डेय–1)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–I, हिलसा